

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241527  
CG-DL-E-30122022-241527

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5932]  
No. 5932]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 6176(अ).**—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के अनुसार जारी पांच चिकित्सा उपकरण, अर्थात् (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम मूल्य को निर्धारित करने से संबंधित दिनांक 13 जुलाई 2021 के का. आ. 2808(अ), 31 जनवरी, 2022 के का.आ. 401 (अ) और 29 जुलाई, 2022 के का.आ. 3534 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, पांच चिकित्सा उपकरण, नामतः (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें निर्धारित करने संबंधी 31 दिसंबर 2022 तक की अधिसूचना को 31 मार्च 2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

2. दिनांक 13 जुलाई 2021 के का.आ.2808(अ) की टिप्पणियां (ख) से (ड) तक इस आदेश के जारी रहने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[पीएन/238/106/2022/एफ फा.सं. 8(106)/2022/डीपी/एनपीपीए/डिव.II]

राजेश कुमार, टी उप निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 30th December, 2022

**S.O. 6176(E).**—the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2808(E) dated 13<sup>th</sup> July 2021, S.O. 401 (E) dated 31<sup>st</sup> January 2022 and S.O. 3534(E) dated 29<sup>th</sup> July 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer, at first point of sale of the product (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of these products. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at first point of sale (price to distributor) up to 31<sup>st</sup> December 2022 is further extended up to 31<sup>st</sup> March 2023 or till further order, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (m) of the Notification S.O. 2808 (E) dated 13<sup>th</sup> July 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/238/106/2022/F F. No. 8(106)/2022/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director